पर होने के कारण पत्रावली गतादेशानुसार दिनांक
2/11/16 .... को पेश हो ।

वकील उभय पक्ष उप0/ वकील अपीलार्थी ने बहस हेतु समय चाहा। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 3/11/16 को पेश हो।

वकील उभय पक्ष उप0/ वकील अपीलार्थी ने बहस हेतु समय चाहा। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 10/11/16 को पेश हो।

वकील उभयपक्ष/अपीलाण्ट उप./पीठासीन अधिकारी महोदय प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त/भ्रमण/अवकाश पर होने के कारण पत्रावली गतादेशानुसार दिनांक वास्ते बहस
17-11-16 ....को पेश हो ।

वकील उभयपक्ष/अपीलाण्ट उप./पीठासीन अधिकारी महोदय प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त/भ्रमण/अवकाश पर होने के कारण पत्रावली गतादेशानुसार दिनांक
24/11/16 ....को पेश हो ।

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी उप0। वकील अपीलार्थी ने बताया कि प्रार्थी की आवंटित भूमि के बदले आज दिनांक तक भूमि आवंटित नहीं की गई है। न्यायालय

कृपया

इसके से है कि अभ्यर्थी को
उसकी आवंटित भूमि के बदले
भूमि आवंटित की जा चुकी है
तहसीलदार चोलापुर/वाराणसी के
द्वारा रिपोर्ट प्राप्त किया जाये
पत्रावली दिनांक 25/11/16 को
पेश हो।

पुनश्च:

प्रार्थीगण अधिवक्ता / प्रार्थी के
प्रतिनिधि ने बताया कि जिस
समय रिफरेन्स प्रस्तुत किया गया
था उस समय अभ्यर्थी की
जगह शास्त्री महाविद्यालय भूमि
पर काबिज था परन्तु मा०
उच्च न्यायालय के आदेश
के अनुसार अभ्यर्थी को
अन्य जगह भूमि आवंटित
की जा चुकी है या न्यायालय
(उच्च न्यायालय) ने भी अपना
यह आवंटन आदेश किया

3/12

है कि जब तक अधिनियम का
आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता
जब तक पूर्व आवंटी का आवेदन
निरस्त नहीं किया ~~जाना चाहिये~~ था
है उपरोक्त तथ्य तक शासकीय मध्य
विद्यालय की भूमि आवंटन नहीं
की जानी चाहिये थी माननीय उच्च
न्यायालय द्वारा पूर्व आवंटी
(अपीलार्थी) का आवेदन रैफर करने
एवं निगरानी RDR LR(B) द्वारा
प्रस्तुत रेफरेन्स अन्तर्गत राजस्थान
भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ
भूमि आवंटन) नियम 1970 की
धारा 14(4) के तहत प्रस्तुत रेफरेन्स
न्यायालय के क्षेत्राधिकार में चलने योग्य
नहीं है।

अतः तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत
रेफरेन्स अस्वीकार कर खारिज
किया जाता है। पत्रावली
फैसला अनुसार मानी जाकर
कैफियत के बाद हो जावे
तकमील दाखिल दफ्तर होवे।